

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-164 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. आत्मा मुण्डा वो 2. बसन्त मुण्डा

- विक्रेता

1. निरल संग्गा वो 2. कार्तिक मुण्डा वो 3. सुमन गाड़ी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
17.12.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. आत्मा मुण्डा वो 2. बसन्त मुण्डा पिता स्व० टोया मुण्डा ग्राम-चलागी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने 1. निरल संग्गा पिता संतोष संग्गा ग्राम-कनाडी वो 2. कार्तिक मुण्डा पिता सुकरा मुण्डा वो 3. सुमन गाड़ी पिता चार्लेस गाड़ी ग्राम-चलागी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हुटार</td> <td>238</td> <td>06</td> <td>772</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0869122720 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1049 दिनांक 04.11.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम करमा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोचे मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 10.45 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.20 एकड़ भूमि के अलावा अन्य खतियानी भूमि से रकबा 4.97 एकड़ भूमि कुल रकबा 6.17 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 5695.00(पांच हजार छः सौ पंचानब्बे)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.37 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. आत्मा मुण्डा वो 2. बसन्त मुण्डा पिता स्व० टोया मुण्डा को 1. निरल संग्गा पिता संतोष संग्गा ग्राम-कनाडी वो 2. कार्तिक मुण्डा पिता सुकरा मुण्डा वो 3. सुमन गाड़ी पिता चार्लेस गाड़ी के साथ ग्राम हुटार के खाता सं० 06 खेसरा संख्या 772 कुल रकबा 0.80 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5695.00(पांच हजार छः सौ पंचानब्बे)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	हुटार	238	06	772	0.80	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
हुटार	238	06	772	0.80								
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>										